न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **रामेश्वर प्रसाद चौधरी, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : **63/2025**
सी.आई.एस. संख्या : 09/2025
सीएनआर नंबर : RJSA01000-
राजस्थान राज्य ....अभियोगी

<u>बनाम</u>

खातुराम पिता कानाजी, जाति मीणा, उम्र 22 वर्ष,
निवासी–सडामानपुर, थाना सलूम्बर, जिला–सलूम्बर(राज.)

.....अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 331(6)(8), 115(2), 117(2), 118(2), 103(1) BNS</u>

उपस्थिति:–
1. श्री रणजीत पूर्बिया, लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2. LADCA श्री महेश कुमार जोशी, अधिवक्ता की ओर से।

–::<u>निर्णय</u>::– **दिनांक : 30.05.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि–दिनांक 19.10.2024 को प्रार्थी भंवरलाल ने पुलिस थाना, सलूम्बर को एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्र पी 1 इस आशय की दी कि दिनांक 18.10.2024 को रात के 12.00–12.30 बजे की घटना है, उसके घर पर परिवार के काका खाताराम दूकान पर सामान लेने के लिए आया तो उसने कहा वह रात्रि में सामान नहीं देता है, जिस पर उसने घर के आंगन में आकर कहा कि एक बीडी पिला दे तो उसने एक बीडी पिला दी और खाताराम ने बीडी पीते हुए कहा कि तूमने उसके बाप को मार डाला है और बाबा को भी तूने मार डाला है, यह कहते हुए आवेश में आकर उसके पीठ पर मुक्के मारे व गाली,

गलौच करने लगा, इतने में प्रार्थी के पिता पालुराम बीच, बचाव करने आए तो अभियुक्त खाताराम ने उसके पिता के गर्दन में चाकू से जानलेवा हमला किया जिससे उसके पिता के गर्दन में चाकू की लगी और खून निकलने लगे। हो, हल्ला होने पर उसकी मां पूंजी बाई एवं पत्नी शारदा बीच, बचाव करने आई। अभियुक्त को बहला, फुसला कर भेजने वाले व्यक्ति सुरेश एवं भैरूलाल भी मौके पर आ गए और खाताराम को अपने साथ मोटरसाईकिल पर बिठाकर ले गए। रात्रि होने की वजह से थाने में ईत्तला नहीं दे सका और पिता को आरोग्य होस्पीटल ईलाज बाबत् लाया व भर्ती कराकर उनका ईलाज कराया, जो अभी भर्ती है। अभियुक्त उससे व उसके परिवार से रंजिश रखता है कि उसके पिता एवं बाबा को हमने मारा। मौके पर उसकी मां व उसकी पत्नी बीच, बचाव नहीं करती तो अभियुक्त उसे व उसके पिता को जान से मार देता.....वगैरा। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना **सलूम्बर** में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245/2024 अंतर्गत धारा 313(6), 115(2), 3(5) BNS में दर्ज की गई एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अभियोगपत्र न्यायालय–अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर में अपराध धारा 331(6), 115(2), 117(2), 118(2), 103(1) BNS में दिनांक 11.02.2025 को पुलिस थाना, सलूम्बर की ओर से पेश किया गया। धारा 331(8), 103(1) BNS का अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण दिनांक 01.05.2025 अपर सेशन न्यायालय, सलूम्बर में कमिट किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. आरोप के संबंध में विद्वान लोक अभियोजक व अधिवक्ता, अभियुक्त के तर्को को सुनने के पश्चात् अभियुक्त को दिनांक 01.05.2025 को धारा 331(6), 331(8) 115(2), 117(2), 118(2), 103(1) BNS के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध के आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। कालान्तर में सलुम्बर मुख्यालय पर सेशन न्यायालय का सृजन हो जाने से प्रकरण अपर सेशन न्यायालय, सलूम्बर से इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दिनांक 05.07.2025 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त पर लगाये आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी ड 1 भंवरलाल, पी ड 2 डॉ. नितिन शाह, पी ड 3 अशोक कुमार, पी ड 4 लोकेश, पी ड 5 पूसकी, पी ड 6 डॉ. नरेन्द्र कुमार, पी ड 7 आशिष, पी ड 8 धमेन्द्र सिंह, पी ड 9 जयेश, पी ड 10 डॉ. हिमांशु, पी ड 11 लिम्बा, पी ड 12 प्रकाश, पी ड 13 मनीष एवं पी ड 14 धूला के बयान लेखबद्ध कराये। गवाह पालुराम की मृत्यु हो जाने से उसकी तलबी बंद की गई। लोक अभियोजक ने गवाह रामजी, कमलेश, भैरूलाल, प्रवीण सिंह, विनोद को तर्क कर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवायेः—

1. प्र पी 1 लिखित रिपोर्ट दिनांकित 19.10.2024
2. प्र पी 2 नक्शा मौका
3. प्र पी 3 लिखित रिपोर्ट दिनांकित 08.11.2024
4. प्र पी 4 फर्द पंचायतनामा लाश
5. प्र पी 5 फर्द सुपुर्दगी लाश
6. प्र पी 6 बयान अंतर्गत धारा 183 बीएनएस गवाह भंवरलाल
7. प्र पी 7ए मालखाना रजिस्टर की प्रति
8. प्र पी 7 डिस्चार्ज टिकिट
9. प्र पी 8 पीएस सलूम्बर का एसपी, सलूम्बर को पत्र
10. प्र पी 9 एसपी, सलूम्बर का विधि विज्ञान प्रयोगशाला को जारी पत्र
11. प्र पी 10 एसपी, सलूम्बर का आरएनटी मेडिकल कॉलेज को जारी पत्र
12. प्र पी 11 एसपी, सलूम्बर का विधि विज्ञान प्रयोगशाला को जारी पत्र
13. प्र पी 12 एफएसएल जमा रसीद
14. प्र पी 13 पीएम प्राप्ति रसीद
15. प्र पी 14 धारा 183 बीएनएस के बयान गवाह श्रीमती पूंजकी
16. प्र पी 15 पीएस सलूम्बर का एमओ सलूम्बर को जारी पत्र
17. प्र पी 16 पीएम रिपोर्ट

18. प्र पी 17 पीएस सलूम्बर का एमओ को जारी पत्र
19. प्र पी 19 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
20. प्र पी 20 फर्द तस्दीक घटनास्थल
21. प्र पी 21 फर्द जब्ती लठ
22. प्र पी 22 फर्द बरामदगीस्थल लठ
23. प्र पी 23 पैथोलोजी अनुभाग का रिपोर्ट
24. प्र पी 24 पीएस सलूम्बर का एमओ बेडावल को जारी पत्र
25. प्र पी 25 चोट प्रतिवेदन प्रपत्र आहत पालुराम
26. प्र पी 26 फर्द सूचना अंतर्गत धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधि.
27. प्र पी 27 फर्द सूचना अभियुक्त खातुराम
28. प्र पी 28 फर्द सूचना अभियुक्त खातुराम
29. प्र पी 29 पीएस सलूम्बर का एमओ, बेडावल को जारी पत्र
30. प्र पी 30 पीएस सलूम्बर का जेएम सलूम्बर को जारी पत्र

4. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु परीक्षित कर उसके कथन अन्तर्गत 313 द.प्र. सं. (धारा 351 बीएनएस) लेखबद्व किये गये, जिनमें अभियुक्त ने कथन किया कि वह निर्दोष है और पारिवारिक विवाद के कारण उसे झूंठा फंसाया गया है। साक्ष्य सफाई में बचाव पक्ष की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई। दस्तोवजी साक्ष्य में प्र डी 1 एफएसएल रिपोर्ट एवं प्र डी 2 पुलिस बयान गवाह भंवरलाल को प्रदर्शित करवाया गया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारणीय बिन्दु यह हैः–

(1) आया अभियुक्त ने दिनांक 18.10.2024 को समय रात्रि के करीब 12.00–12.30 बजे मौजा सडामानपुर में स्थित परिवादी भंवरलाल के रिहायशी मकान में परिवादी के साथ मारपीट करने की तैयारी के पश्चात् अवैध रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार किया तथा परिवादी भंवरलाल के रिहायशी मकान में परिवादी भंवरलाल के पिता पालुराम की मृत्यु या उसे घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न में अवैध रूप

से प्रवेश गृह अतिचार किया और परिवादी भंवरलाल एवं उसके पिता पालुराम के साथ कुन्द आलाय से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छ्या साधारण उपहति कारित की तथा परिवादी भंवरलाल के पिता पालुराम के साथ कुन्द आलाय से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छ्या घोर उपहतियां कारित की एवं परिवादी भंवरलाल के पिता पालुराम के साथ धारदार प्रकार के हथियार चाकु से मारपीट कर उसें स्वेच्छ्या घोर उपहतियां कारित की एवं परिवादी भंवरलाल के पिता पालुराम के साथ धारदार प्रकार के हथियार चाकु से मारपीट कर पालुराम की साशय हत्या कारित की?

(2) यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है?

6. उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु के संबंध में विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की बहस सुनी गई।

7. दौराने बहस लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया है कि परिवादी भंवरलाल ने अपनी लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद अपने न्यायालय बयानों में की है। अभियोजन कहानी की ताईद घटना की चश्मदीद गवाह पी ड 5 पूसकी बाई ने भी की है। पी ड 12 प्रकाश ने भी घटना की पुष्टि करते हुए नक्शा मौका प्र पी 2 को पुष्ट किया है। चिकित्सकीय साक्षीगण के कथनों से इस मामले में आहत पालुराम की मृत्यु उसके घटना में आई चोटों के कारण होना प्रमाणित है। अनुसंधान अधिकारी ने बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने की पुष्टि की है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे प्रमाणित है। अन्त में निवेदन किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 331(6), 331(8) 115(2), 117(2), 118(2), 103(1) BNS के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराधों के तहत कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।

8. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। इस मामले में परिवादी पी ड 1 भंवरलाल मृतक पालुराम का पुत्र है तथा पी ड 5 पूसकी बाई मृतक पालूराम की पत्नी है और दोनों आपस में पुत्र, माता होने से हितबद्ध साक्षीगण है, जिनकी साक्ष्य स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य से पुष्ट नहीं होने से विश्वास किए जाने योग्य नहीं है।

पी ड 8 धर्मेन्द्र ने अभियुक्त को थाना परिसर से गिरफ्तार करना बताया है। जब्ती के गवाहान सभी पुलिस मुलाजिमान है, जिनकी साक्ष्य स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से पुष्ट नहीं है। पी ड 11 लिम्बा पंचनामा लाश व नक्शा मौका का गवाह है, जो इन पर लिखी ईबारत के संबंध में अनज्ञिता जाहिर करता है। अन्य साक्षीगण औपचारिक किस्म के है, जिनके बयानों में गंभीर विरोधाभाष है। अभियुक्त से कोई चाकू या धारदार हथियार बरामद नहीं है। परिवादी की मौखिक साक्ष्य एवं एफआईआर में चाकू से मारपीट करना बताया गया है जबकि चाकू बरामद नहीं है। अन्त में उन्होंने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 331(6), 331(8) 115(2), 117(2), 118(2), 103(1) BNS का अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

(1) कालीया बनाम राज. राज्य, 1976 आरएलडब्लू (राज) 154

(2) भंवरसिंह बनाम राज. राज्य, 1998 कि.ला.रि. (राज.) 400

(3) जेटाराम बनाम राज. राज्य, 2016(11) कि.ला.रि. (राज.) 387

(4) बालाजी गुंठु दुल्हे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2013 कि.ला.रि. (एससी) 123

09. बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अध्ययन किया गया।

10. अवधारणीय बिन्दु पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

11. उपर्युक्त अवधारणीय बिन्दु के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से पी ड 1 के रूप में इस मामले में मृतक के पुत्र भंवरलाल को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 18.10.2024 को वे सब हमारे घर पर सोये हुए थे, रात को करीब साढे 12 बजे अभियुक्त जो परिवार में उसका काका लगता है, जिसका नाम खाताराम है, वह उसकी दुकान पर सामान लेने आया तो उसने कहा कि रात को सामान नहीं दूंगा, सुबह आना। फिर आंगन में आकर कहा कि बीडी पिला दे, उसने बीडी पिला दी फिर वह बीडी पीते हुए बोला कि मेरे बाबा को तुमने जादू–टोना कर के मार डाला है, ऐसा कहकर उसके साथ लातों–मुक्कों से मारपीट करने लगा, जिस पर उसके पिताजी

पालूरामजी बीच–बचाव करने आए तो उनके साथ लातों, घूसों और लठ से मारपीट करने लगा, जिससे उसके पिताजी के पीठ में चोट लगी और उनकी दस पसलियां टूट गई और हाथ में जो चाकू था जो उसके पिताजी को मारा जिससे उनके गले में चोट लगी। आवाज सुनकर उसकी मां पूंजकी बाई और उसकी पत्नी शारदा दोनों बीच–बचाव करने आई। मौके पर अन्य लोग भी आ गए, जिन्होंने बीच–बचाव किया। उसके बाद अभियुक्त खाताराम मौके से भाग गया। उसके बाद वह अपने पिताजी को घायलावस्था में सलूम्बर हॉस्पीटल लाया, जहां उनका इलाज चला। इसके बाद उसके पिताजी 07.11.2024 इस हमले की चोटों के कारण पिताजी की मृत्यु हो गई, उस कारण उसने 08.11.2024 को दूसरी रिपोर्ट उसके पिताजी की हत्या करने बाबत दर्ज करवाई थी। जानलेवा हमले की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त घटना की घटनास्थल की कार्यवाही करने बाबत पुलिस दिनांक 21.10.2024 को मौके पर आई थी और घटनास्थल पर नक्शा मौका बनाया था उस समय गवाह लिम्बाराम और प्रकाश भी उपस्थित थे, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त घटना में चोटों के कारण अपने पिता की दौराने इलाज मृत्यु होने पर 08.11.2024 को अभियुक्त खाताराम के खिलाफ एक रिपोर्ट पुलिस थाना सलूम्बर में पेश की थी जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्तक्षर है। उसके पिता का फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 04 है व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 05 है। उसके पिताजी के इलाज संबधित सभी दस्तावेज उसने पुलिस वालों को दिए थे। उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट सलूम्बर के सामने भी बयान दिए थे जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त ने उसके पिता को जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला किया था जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु होने से प्रथम रिपोर्ट उसने जानलेवा हमले की थाने में पेश की व मृत्यु होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ उसके पिता की हत्या करने बाबत रिपोर्ट पेश की थी।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उसके घर के अडौस 6–7 मकान है। यह कहना सही है कि नक्शा मौका प्र पी 2 में एफ स्थान पर जो मकान बता

रखा है, उसी में , वह और उसकी पत्नी और माता–पिता रहते है। यह कहना सही है कि तथाकथित घटना के बीस दिन बाद उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी। प्र पी 01 रिपोर्ट पुलिस थाना, सलूम्बर में बैठकर लिखी थी, जो दिन के तीन–साढे तीन बजे दी थी। उसके बयान रिपोर्ट देने के तीन दिन बाद हुए थे। यह कहना सही है कि प्र डी 2 उसके पुलिस बयान में अभियुक्त ने उसके पिता को चाकू से मारा हो, अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि पुलिस रिपोर्ट प्र पी 1 घटना के 18 घण्टे की देरी से दर्ज करवाई थी, अजखुद कहा रात हो गई थी, ईलाज में व्यस्त होने के कारण देरी से लिखवाई थी। वह अपने पिता को आरोग्य होस्पीटल सुबह के चार, साढे चार बजे लेकर गया था। यह कहना सही है कि पुलिस रिपोर्ट प्र पी 1 ूमें उसके द्वारा पिता को लठ से मारना नहीं लिखा है, अजखुद कहा उसने बताया था क्यों नीं लिखा पता नहीं है। प्र पी 3 दूसरी रिपोर्ट उसने दिनांक 08.11.2024 को दी थी। यह गलत है कि प्र पी 3 वकील से राय मशविरा करके लिखाई हो। यह कहना सही है कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की हो, उस बाबतत् उसका कोई मेडिकल नहीं करवाया। उसके पिता की मृत्यु दिनांक 07.11.2024 को रात के साढे ग्यारह बजे हुई थी। यह कहना सही है कि प्र पी 3 में उसने अभियुक्त के परिवार द्वारा मौताणे के रूपये मांगने वाली बात पर पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। आरोग्य होस्पीटल में उसके पिता 5 दिन भर्ती रहे उसके बाद ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज करा घर पर ले आए। यह कहना सही है कि आरोग्य होस्पीटल से उनकी मृत्यु तक उसके पिताजी का कहीं ईलाज नहीं चला था, अजखुद कहा आरोग्य होस्पीटल में ही दिखाया था। यह कहना सही है कि घटनास्थल खुला स्थान है। यह कहना गलत है कि उसके पिता के साथ खातुराम ने कोई मारपीट नहीं की हो और उसे फंसाने के लिए प्र पी 3 रिपोर्ट बढाचढा कर पेश की हो। यह कहना गलत है कि उसके पिता ने अभियुक्त परिवार पर जादु टोना कर दिया हो एवं इस बात को लेकर दोनों परिवार के मध्य आए दिन झगडा चलता रहता हो।

इस प्रकार इस गवाह ने अपने आपको घटना का चक्षुसाक्षी बताते हुए मुख्य परीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 1 में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है। साथ

ही घटनास्थल का नक्शा मौका प्र पी 2, मृतक की मृत्यु हो जाने के बाद दुबारा पेश की गई रिपोर्ट प्र पी 3, पंचनामा व सुपुर्दगी लाश प्र पी 4 व 5 को ताईद किया है। जिरह में इस गवाह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराये जाने का स्पष्ट कारण रात्रि करीब 12.00 बजे की घटना के पश्चात् तुरंत अपने पिता को ईलाज के लिए ले जाना तथा ईलाज में व्यस्त होने के कारण 18 घण्टे देरी से रिपोर्ट दर्ज कराया जाना बताया है। हालांकि इस गवाह ने जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 1 में अपने पिता को लठ से मारना नहीं लिखा है। परन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा दी गई द्वितीय रिपोर्ट प्र पी 3 में अभियुक्त द्वारा उसके पिता के लठ से मारपीट करना स्पष्ट अंकित किया है। गवाह ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि रिपोर्ट प्र पी 3 वकील से राय, मशविरा करके लिखाई हो। इस प्रकार पी ड 1 ने मुख्य परीक्षण में संपूर्ण घटनाक्रम के वृतांत को पुष्ट किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराये जाने का भी युक्तियुक्त कारण बताया है। इस गवाह से की गई विस्तारपूर्वक जिरह में गवाह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से पी ड 05 पूसकी बाई जो कि मृतकी की पत्नी है, को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीब ग्यारह महीने पहले रात को साढे बारह बजे खातुराम उनके घर पर स्थित दुकान पर सामान लेने आया था, जिस पर उसके बेटे भंवरलाल ने देर रात हो जाने से उसे सामान देने से मना कर सुबह आने को कहा। जिस पर खातुराम उसके घर के आंगन में आ गया और उसके बेटे भंवरलाल से लात–मुक्कों से मारपीट करने लगा, हाका सुनकर उसके पति, उसकी बहू और वह छुड़वाने आए तो खातुराम ने वहीं से एक सांकड़े का लठ तोड़कर उसके पति पालूराम के पीठ पर मार की जिससे पति वहीं बेहोश होकर गिर गए और उनकी पसलियां टूट गई। आस–पास के सभी लोगों ने उसके पति को छुड़ाया। खातुराम वहां से भाग गया। फिर उसके पति को आरोग्य हॉस्पीटल में भर्ती करवाया। अभियुक्त खातुराम उसके बाबा की मौत हो जाने पर हमारे परिवार पर जादू–टोना करके मार देने की शंका करता है, जिस कारण मारपीट की है।

उक्त घटना में आई चोटों से उसके पति की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाये थे, जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि खातुराम और उसके पति चाचा, ताउ में एक ही परिवार के है। यह कहना गलत है कि उसके पति पहले से ही बीमार हो। यह कहना सही है कि घटना के बीस दिन बाद उसके पति की मृत्यु हुई, अजखुद कहा होस्पीटल में मृत्यु हुई थी। यह सही है कि उनके मकान के आस–पास सघन बस्ती है। यह कहना सही है कि झगडे के बाद जब उसका पति होस्पीटल में भर्ती था तब पंचों के सामने मुलजिम की ओर से तीन लाख रूपये उन्हें दिए गए थे। यह कहना गलत है कि हमने मांगे उतने पैसे मिल गए हो, हमने 25 लाख रूपये मांगे थे। यह कहना सही है कि उसके पति की होस्पीटल से ईलाज के बाद छुट्टी मिल जाने के बाद घर पर मृत्यु हुई थी, अजखुद कहा छुट्ठी मिलने के तीन दिन बाद मृत्यु हो गई थी।

इस प्रकार इस गवाह ने अपने अपको घटना का चक्षुसाक्षी बताते हुए घटनाक्रम का वहीं वृतांत बताया है, जोकि इसके पुत्र परिवादी पी ड 1 भंवरलाल ने बताया है। इस गवाह ने भी अभियुक्त द्वारा किए गए कृत्य का कारण वहीं बताया है, जो पी ड 1 भंवरलाल ने बताया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 1 व प्र पी 03 में अंकित है।

13. पी ड 11 के रूप में लिम्बा को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब पांच साल पहले की बात है, खातु और पालु के बीच झगड़ा हो गया था। पालू की झगड़े में मौत हो गई थी, पुलिस मौका देखने आई थी। घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया था, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। सलूंबर हॉस्पीटल मोर्चरी में गया था, जहां पुलिस ने लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 04 बनाया था जिसके एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। उसके साथ धूलाराम, रामजी, कमलेश, भेरूलाल थे।

जिरह में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस ने उसकी अंगुठा निशानी सभी

कागजों पर एक साथ ही करवाई थी, कागजों पर क्या लिखा था, उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि पंचनामा पर अंगुठा निशानी उसने मोर्चरी के बाहर की थी।

इस प्रकार यह गवाह घटनास्थल का नक्शा मौका प्र पी 2 व पंचायतनामा प्र पी 4 की मुख्य परीक्षण में पुष्टि करता है तथा जिरह में कागजों पर लिखी इबारत के संबंध में अनभिज्ञता अनपढ होने के आधार पर जाहिर की है। उक्त अनपढ गवाह से किसी भी फर्द के बारे में यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह फर्द में अंकित इबारत को बताये। इस प्रकार यह गवाह अनपढ होने के कारण फर्दों में लिखी इबारत के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करने से इस गवाह के सामने तैयार किए नक्शा मौका प्र पी 2 व पंचायतनामा लाश प्र पी 4 को ठुकराया नहीं जा सकता।

14. पी ड 12 के रूप में प्रकाश को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 18.10.2024 की रात को साढे बारह बजे की बात है। वह उसके घर पर सो रहा था। लड़ाई–झगडे की आवाज सुनी, जिस पर वह पालुराम के घर गया। पालूराम नीचे पडा था, वहां उसके घरवाले भी थे। थोडी दूरी पर खातुराम पत्थर लेकर दौड़ रहा था। फिर उसने खातुराम को वहां से भगाया। फिर पालुरामजी को सलूंबर आरोग्य हॉस्पीटल लेकर आए। बाद में पालुरामजी की मौत हो गई थी। पुलिस मौके पर आई थी। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह घटना के समय अपने घर पर सो रहा था। घटना होते हुए उसने नहीं देखी लेकिन जोर से आवाज सुनी थी। पालुराम को मारते हुए उसने नहीं देखा। पालुराम के साथ आरोग्य होस्पीटल नहीं गया था। प्र पी 2 नक्शा मौका पर क्या लिखा है, उसे नहीं पता।

इस गवाह की साक्ष्य से प्रकट होता है कि यह गवाह घटना का चक्षुसाक्षी नहीं है परन्तु हल्ला सुनकर मौके पर गया है और घटनास्थल पर अभियुक्त

खातुराम को पत्थर लेकर दौडते हुए देखना इस गवाह ने बताया है।

15. पी ड 14 के रूप में धुला को पेश कर परीक्षित करवाया गया है और इसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब डेढ साल पहले सडा मानपुर रेल फला की बात है। खातुराम व पालूराम के बीच झगडा हुआ था, जिससे आई चोटों से पालूराम की मृत्यु हो गई थी, जिस पर वह सलूम्बर सरकारी होस्पीटल आया था, पुलिस ने पालूराम की लाश का पंचनामा प्र पी 4 बनाया, पुलिस ने मृतक की लाश जरिए प्र पी 5 सुपुर्द की, इन पर इस गवाह ने स्वयं की वाई स्थान पर अंगुठा निशानी होना कहा है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि प्र पी 4, 5 पढकर नहीं सुनाया था, केवल अंगुठा कराया था। यह गलत है कि पुलिस ने खाली कागज पर अंगुठा कराया हो।

इस प्रकार इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में मृतक की लाश का पंचनामा व सुपुर्दगी लाश प्र पी 5 अपने सामने तैयार होना बताया है। यह गवाह अंगुठा निशानी लगाता है। हालांकि जिरह में प्र पी 4, 5 पढकर सुनाने से इन्कार कर रहा है परंतु आगे स्पष्ट कथन किया है कि यह कहना गलत है कि पुलिस ने उसके खाली कागज पर अंगुठा करवाया हो इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से प्र पी 4 व 5 प्र पी 5 की पुष्टि होता है।

16. पी ड 02 के रूप में डॉ. नितिन शाह को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि वह दिनांक 19.10.2024 को आरोग्य हॉस्पीटल में चिकित्सक के पद पर कार्यरत था, उस दिन मरीज पालूराम पिता हीरालाल को इलाज हेतु आरोग्य हॉस्पीटल में भर्ती किया गया, जो दिनांक 19.10.2024 से 23.10.2024 तक उसके हॉस्पीटल में उपचारित रहा। मरीज के दांहिनी तरफ की पांचवी, छठवी, सातवी, आठवीं, नवमी, दसवीं पसली में फ्रेक्चर था। गर्दन में घाव था। मरीज को छाती का एक्सरे, कमर का एक्सरे, छाती का सीटी स्केन एडवाइज किया था। मरीज को कजंर्वेटिवली उपचारित किया गया था व दिनांक 23.10.2024 को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज के समय मरीज की हालत संतोषप्रद थी तथा उसके साथियों ने सीटी स्केन एवं एमआरआई के लिए

मना कर दिया था। मरीज पालूराम का भर्ती का डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर मय सील है व सी से डी भाग पर चिकित्सा सबंधी विवरण अंकित है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसके द्वारा मरीज का पूर्ण ईलाज कर पूर्ण तरह से संतुष्ट होने के बाद उसे छुट्टी दी गई, उस समय वह स्वस्थ होकर चल कर गया था। यह कहना सही है कि मरीज की गर्दन के दांहिने और के घाव से उसकी मृत्यु होना संभव नहीं है। मरीज जब उसके होस्पीटल से डिस्चार्ज हुआ, उसके 15–16 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मुत्यु का कारण पीएम से ही पता चल सकता है।

इस प्रकार इस गवाह के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि मृतक को घटना के तुरंत पश्चात् इस गवाह के होस्पीटल में ईलाज हेतु ले जाया गया, जहां दिनांक 19.10.2024 से 23.10.2024 तक गहन चिकित्सा ईकाई में मृतक का उपचार किया है। इस गवाह के कथनों से यह भी प्रकट होता है कि मृतक को डिस्चार्ज करते समय वह पूर्ण स्वस्थ न होकर उसकी हालत संतोषजनक थी तथा मृतक की 5वी से लेकर 10वीं पसलियों में अस्थिभंग थे। जिरह में इस गवाह द्वारा किए गए कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि मृतक को जब होस्पीटल लाया गया तब वह स्टेबल कंडीशन में था तथा डिस्चार्ज करते समय भी वह इस्टेबल कंडीशन में था। इस प्रकार मृतक के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि उक्त चिकित्सकीय साक्षी पी ड 2 के कथनों से होती है।

17. पी ड 6 के रूप में डॉ. नरेन्द्र कुमार को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 08.11.2024 को वह चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय सलूंबर के पद पर कार्यरत था, उस दिन थानाधिकारी सलूंबर से प्रकरण संख्या 245/2024 में मृतक पालूराम का मेडिकल बोर्ड द्वारा पीएम कर पीएम रिपोर्ट दिलाने हेतु तहरीर प्रदर्श पी 15 प्राप्त हुई जिस पर ए से बी उसके द्वारा तहरीर प्राप्ति का अंकन मय हस्ताक्षर है, जिस पर मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतक पालुराम का पोस्ट मार्टम किया गया। बोर्ड में वह, डॉ हिमांशु मेघवाल एवं चिकित्साधिकारी बेडावल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 है

जिस पर ए से बी उसके, सी से डी बोर्ड के अन्य सदस्य डॉ हिमांशु के हस्ताक्षर है। मेडिकल बोर्ड गठन के संबंध में अंकन प्रदर्श पी 16 पर इ से एफ है। पोस्ट मार्टम के बाद बोर्ड ने मृत्यु का कारण जानने के लिए मृतक के विसरा एफएसएल व हिस्टोपेथॉलॉजिकल रिपोर्ट हेतु लिए थे, इसलिए मृत्यु का कारण सुरक्षित रखा गया था बाद एफएसएल व हिस्टोपैथॅालॉजिकल रिपोर्ट उसके द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण पुलिस द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श पी 17 मूल पर ही ए से बी अंकित किया गया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 17 के आधार पर मृत्यु का कारण उसके छाती व पसली फ्रेक्चर के कारण फेंफडों में आई चोटों के बाद के प्रभाव से हुई थी।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मृतक के शरीर पर आई चोटों का प्रॉपर ईलाज पूर्व में हो जाता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। यह कहना सही है कि मृतक के 5 लगायत 10 पसलियों पर जो फ्रेक्चर व घाव थे, वे कठोर धरातल पर गिरने से आ सकते है। यह कहना गलत है कि सिर पर भारी वजन उठाने पर हस्तगत मृतक की पसलियों में जो फ्रेक्चर थे, वे कारित हो सकते हो। मृतक की छाती पर दांयी तरफ जाहिरा घाव था। यह कहना सही है कि पीएम में मृत्यु का कारण नहीं दिया गया था, अजखुद कहा ओपिनियन रिजर्व रखी जाकर एफएसएल हेतु सैम्पल लिए गए थे, उसके बाद राय दी गई थी। यह कहना सही है कि मृतक के फेफडों में जो कंजेक्शन पाया गया था, वह पूरानी बीमारी के कारण भी हो सकता है, अजखुद कहा चोटों के कारण आई इंफेक्शन से भी हो सकता है। यह कहना सही है कि मृतक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं था।

इस प्रकार उक्त चिकित्सकीय साक्षी के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि इस गवाह द्वारा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र पी 16 तैयार की गई तथा एफएसएल व हिस्टोपैथोलोजिकल रिपोर्ट के आधार पर राय प्र पी 17 दी गई है, जिसके अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण छाती व पसली के फ्रेक्चर के कारण फेफडों में आई चोटों के बाद के प्रभाव से हुई थी। हालांकि जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि मृतक का समय पर ईलाज हो जाता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। परंतु जैसा कि पी ड 2 डॉ. नितिन शाह ने इस बात की पुष्टि की उसने

आहत का दिनांक 19.10.2024 से 23.10.2024 तक ईलाज किया था तथा संतोषप्रद हालत में आहत को डिस्चार्ज किया था, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि मृतक को समय पर ईलाज नहीं मिला हो। जिरह में इस गवाह ने हालांकि यह स्वीकार किया है कि इटरस्टिसल फाइब्रोसिस एक लम्बे समय से चली आ रही सूजन का परिणाम होता है और इसके कारण टिश्यू सख्त होकर सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पडता है और लम्बे समय से इन्टरस्टिशीयल फाईब्रसिस चल रहा हो तो हार्ड फैल्योर से मना नहीं किया जा सकता। परन्तु गवाह ने अजखुद कहा है कि मृतक के चोटों के कारण इनफेक्शन से भी लंस में कंजेक्शन हो जा सकता है। इस प्रकार इस गवाह ने मृतक के छाती व पसलियों में आए फेक्चर के कारण आए दूरगामी प्रभाव से मृतक की मृत्यु कारित होना प्रमाणित किया है। परिणामतः मृतक की मृत्यु के कारण की पुष्टि उक्त चिकित्सकीय साक्षी के कथनों से भी होती है।

18. पी ड 10 के रूप में डॉ. हिमांशु को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 26.10.2024 को वह चिकित्साधिकारी, पीएचसी बेड़ावल, सलूंबर के पद पर कार्यरत था, उस दिन थानाधिकारी पुलिस थाना सलूंबर ने थाने के प्रकरण संख्या 245/2024 के मजरूह पालूराम के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन दिलाने हेतु एक तहरीर प्रदर्श पी 24 प्राप्त हुई थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा पालूराम के शरीर पर आई चोटों को निरीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 25 बनाया गया जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मजरूह पालूराम के हस्ताक्षर है। परीक्षण के दौरान उसने मजरूह पालूराम के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईः—चोट संख्या 01. गले के बांए भाग पर कटा हुआ चोट, जो 5 गुणा 1 गुणा 1 जो कि शार्प हथियार से कारित थी। चोट संख्या 02. छाती के बांए भाग पर कंट्यूशन(हरा और पीला) जो 8 गुणा 5 सेमी का, कुंदालय से कारित थी। दोनों चोटें की एक्सरे कराए जाने की राय दी जाकर ओपिनियन रिजर्व रखी गई थी। प्राप्त एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर चोट संख्या साधारण प्रकृति की पाई गई, चोट संख्या 02 मल्टीपल रीब फ्रेक्चर 5, 6, 7, 8, 9, 10 में अस्थिभंग पाया गया जिस कारण चोट सं. 2 गंभीर प्रकृति की थी। उसकी एक्सरे राय प्रदर्श पी 25 की

पुष्ठ भाग पर इ से एफ है व ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 08.11.2024 को मृतक पालूराम का मेडिकल बोर्ड द्वारा पी.एम. कर पी.एम. रिपोर्ट दिलाने हेतु तहरीर प्रदर्श पी 15 डॉ नरेंद्र शर्मा को प्राप्त हुई थी जिस पर मेडिकल बोर्ड बनाया गया जिसमें सदस्य के तौर पर वह भी मौजूद था। प्रदर्श पी 15 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतक पालुराम का पोस्ट मार्टम किया गया। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पोस्ट मार्टम के बाद बोर्ड ने मृत्यु का कारण जानने के लिए मृतक के विसरा एफएसएल व हिस्टोपेथॉलॉजिकल रिपोर्ट हेतु लिए थे इसलिए मृत्यु का कारण सुरक्षित रखा गया था। बाद एफएसएल व हिस्टोपैथॅालॉजिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 है, जिसके आधार पर उनके द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण पुलिस द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श पी 17 मूल पर ही ए से बी भाग में अंकित किया गया।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्र पी 25 में अंकित चोट संख्या 1 साधारण प्रकृति की थी। यह कहना सही है कि पालूराम स्वयं चलकर उसके पास आया था और एमएलसी बनाने के बाद स्वयं ही चलकर गया था। यह कहना सही है कि प्र पी 25 में चोट संख्या 2 कठोर धरातल पर गिरने से आ सकती है। यह कहना सही है कि प्र पी 16 पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का स्पष्ट कारण अंकित नहीं है। वह नहीं बता सकता कि मृतक की मृत्यु कोई पुरानी बीमारी से हुई हो। यह कहना सही है कि मृतक की एफएसएल रिपोर्ट प्र डी 1 में मृतक के शरीर पर कोई जहर आदि नहीं पाया गया।

इस प्रकार इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में मृतक के गले के बांये भाग पर एक धारदार हथियार से चोट कारित होना तथा छाती के बांये भाग पर कुन्द आलाय से कन्टूजन प्रकृति की चोट होना पुष्ट किया है। साथ ही चोट संख्या 02 में मृतक की पांचवी से लेकर 10वीं पंसली में अस्थिभंग होना भी पुष्ट किया है। इस गवाह ने पीएम रिपोर्ट प्र पी 16 को भी पुष्ट किया है। जिरह में इस गवाह ने चोटों की अवधि के संबंध में जो कथन किए हैं, उस हल्के से विरोधाभाष मात्र के आधार पर मृतक के आई प्राणघातक चोटों तथा संपूर्ण अभियोजन कहानी को नहीं ठुकराया जा सकता। इस प्रकार इस चिकित्सकीय साक्षी ने भी मृतक के शरीर पर

आई चोटों तथा उसकी पीएम रिपोर्ट को चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट किया है।

19. पी ड 7 के रूप में आशीष को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 19.10.2024 को वह पुलिस थाना सलूंबर में एएसआई के पद पर तैनात था, उस दिन परिवादी भंवरलाल द्वारा थानाधिकारी के समक्ष एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पेश की गई, जिस पर थानाधिकारी मनीष जी खोईवाल द्वारा कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन कर एफआईआर संख्या 245/2024 दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया। पुलिस कार्यवाही का अंकन प्रदर्श पी 01 के सी से डी भाग पर है, थानाधिकारी के हस्ताक्षर इ से एफ है एवं उनके अधीन काम करने से हस्ताक्षर पहचानता है। दिनांक 21.10.2024 को भंवरलाल की निशानदेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 मुर्तिब की गई जिस पर सी से डी उसके, हस्ताक्षर है। गवाह प्रकाश, पूचकी, भंवरलाल, पालूराम के बयान उनके कहेअनुसार लेखबद्ध किए गए। मजरूह पालूराम के एक्सरे हेतु चिकित्साधिकारी को एक तहरीर दी गई जो प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्राप्त चोट प्रतिवेदन व एक्सरे उसके द्वारा शामिल पत्रावली किए गए। बाद में मजरूह की मृत्यु हो जाने पर मोर्चरी सलूंबर पर पंचायतनामा प्रदर्श पी 04 उसके द्वारा मुर्तिब किया गया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 05 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इसके बाद का अनुसंधान थानाधिकारी श्री मनीष खोईवाल द्वारा किया गया।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि ईत्तला रिपोर्ट प्र पी 1 में चाकू से घटना कारित करना बताया गया है परंतु उसके द्वारा किए गए अनुसंधान में कोई चाकु जब्त नहीं किया, ना ही गवाहों के बयानों में चाकु से हमले की बात आई। इस प्रकार इस गवाह ने प्र पी 1, 2, 4, 5 व 18 की पुष्टि की है। जिरह में इस गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों पर अविश्वास पैदा होता हो। हांलाकि इस गवाह के कथनों से यह तथ्य जरूर उभकर आता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 1 में अंकित चाकु ना तो अनुसंधान में बरामद हुआ, ना ही किसी गवाह ने बताया।

इस प्रकार यह गवाह दिनांक 27.11.2024 को पुलिस थाना, सलूम्बर में मालखाना इंचार्ज होकर जब्तशुदा आर्टिकल मालखाने में जमा करने तथा एफएसएल हेतु वापस लौटाये जाने का कथन करता है। जिरह में इस गवाह ने ऐसा कोई विरोधाभाषी कथन नहीं किया है जिससे इस गवाह के कथनों पर अविश्वास किया जा सके।

20. पी ड 3 के रूप में अशोक कुमार को पेश परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 27.11.2024 को वह मालखाना इंचार्ज पुलिस थाना, सलूम्बर में था, उस दिन उसे इस प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल एमओ, सलूम्बर द्वारा सीलचिट अवस्था में सुपुर्द किए, जिनको उसने मालखाना रजिस्टर में क्रम संख्या 200/2024 पर इन्द्राज किया। उक्त आर्टिकल तत्कालीन मालखाना इंचार्ज प्रवीण सिंह ने कानि. लोकेश को एफएसएल में जमा करवाने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर भेजा था, जहां तीन आर्टिकल ए, बी, सी एतराज होने से वापस लाया एवं आर्टिकल मार्क डी को आरएनटी मेडिकल कॉलेज में जमा कर रसीद लाया, जिसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में किया। बाद एतराज पूर्ति दिनांक 10.12.2024 को सीलचिट आर्टिकल ए,बी,सी कानि. लोकेश को सुपुर्द किए, जो उदयपुर में एफएसएल में जमा करवाकर रसीद लेकर आया। दिनांक 15.11.2024 को आई/ओ ने सीलचिट लठ उसे सुपुर्द किया, जिसे मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 195/2024 पर दर्ज किया। मालखाना रजिस्टर प्र पी 7 है, उसकी फोटो प्रति प्र पी 7ए है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि जो आर्टिकल मालखाने में जमा कराने के लिए उसे दिया गया, उसमें क्या था, वह नहीं बता सकता क्योंकि उसने खोलकर नहीं देखा था कि उसमें क्या था। आर्टिकल उसे सीलचिट अवस्था में मिला था। यह कहना गलत है कि मालखाने के चार्ज परिवर्तन के बाद आर्टिकलों के स्थान में भी परिवर्तन हुआ हो।

इस प्रकार इस गवाह ने इस प्रकरण में जब्त आर्टिकल मालखाना में जमा करने तथा जांच हेतं एफएसएल, उदयपुर में जमा कराने हेतु कानि लोकेश को सुपर्द करने की पुष्टि की है। इस गवाह की जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं आया

है, जिससे इसकी मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों पर संदेह उत्पन्न होता हो।

21. पी ड 4 के रूप में लोकेश को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में इस मामले में जब्तशुदा आर्टिकल दिनांक 04.12.2024 को मालखाना इंचार्ज प्रवीण सिंह से प्राप्त कर एफएसएल लेकर जाने तथा एतराज पर वापस लाकर, बाद एतराज पूर्ति मालखाना इंचाज पी ड 03 अशोक कुमार से पुनः वजह सबूत प्राप्त कर एफएसएल में जमा करा रसीद मालखाना में जमा कराने का कथन किया है। जिरह में इस गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों पर अविश्वास पैदा होता हो।

22. पी ड 8 के रूप में धर्मेन्द्र सिंह को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण में इसने कथन किया है कि दिनांक 14.11.2024 को वह पुलिस थाना सलूंबर में कानि. के पद पर तैनात था, उस दिन थाने के प्रकरण संख्या 245 / 2024 के अनुसंधान अधिकारी मनीष कुमार जी के द्वारा प्रकरण के अभियुक्त खातुराम को बाद पूछताछ थाने से गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी बतौर गवाह उसके हस्ताक्षर है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि अभियुक्त को थाना परिसर से ही गिरफ्तार किया गया था।

यह अभियुक्त की गिरफ्तारी का औपचारिक गवाह है, जिसने अभियुक्त की गिरफ्तारी को ताईद किया है।

23. पी ड 9 के रूप में जयेश को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षा में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 15.11.2024 को वह पुलिस थाना सलूंबर में कानि. के पद पर तैनात था, उस दिन थाने के प्रकरण संख्या 245 / 2024 के अनुसंधान अधिकारी मनीष कुमार जी के द्वारा प्रकरण के अभियुक्त खातुराम की निशानदेही से फर्द तस्दीक घटनास्थल की गई जो प्रदर्श पी 20 है जिस पर बतौर गवाह ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त खातुराम की निशानदेही से एक लठ अनुसंधान अधिकारी ने बरामद कर सीलचिट किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिस स्थान से लठ जब्त किया गया उस स्थान का फर्द बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 22

अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुर्तिब किया गया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि वह घटनास्थल पर एक बार ही गया था। घटनास्थल के आस–पास कोई मकानात नहीं थे। यह कहना सही है कि प्र पी 21 बरामदगीस्थल लठ खुला स्थान है। यह कहना सही है कि प्र पी 20 घटनास्थल पर कोई खून के आलामात नहीं थे। जब्तशुदा लठ पर भी कोई खून के आलामात नहीं थे।

इस प्रकार इस गवाह ने अभियुक्त की निशादेही से घटना में प्रयुक्त लठ जरिए प्र पी 21 तथा उसका नक्शा मौका प्र पी 22 को पुष्ट किया है। हालांकि लठ बरामदगी स्थान इस गवाह ने खुला स्थान होना बताया है। परंतु जैसा कि चक्षुसाक्षियों ने अभियुक्त द्वारा लठ से मारने का स्पष्ट कथन किया है, ऐसी परिस्थिति में घटना में प्रयुक्त खुले स्थान से बरामद होने मात्र के आधार पर संपूर्ण अभियोजन कहानी को झूंठलाया नहीं जा सकता।

24. पी ड 13 के रूप में इस मामले के अनुसंधान अधिकारी मनीष खोईवाल को पेश कर परीक्षित करवाया गया है, इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 19.10.2024 को वह थानाधिकारी पुलिस थाना सलूंबर के पद पर कार्यरत था, उस दिन प्रार्थी भंवरलाल ने एक टाइपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पेश की थी जिस पर ए से बी प्रार्थी के हस्ताक्षर है, सी से डी पुलिस कार्यवाही का अंकन है, इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान उसके द्वारा आशीष कुमार एएसआई के जिम्मे किया गया। मृतक पालूराम का पोस्टमार्टम कराने हेतु तहरीर एमओ साहब सलूंबर को दी थी, जो प्रदर्श पी 15 है, पीएमआर प्रदर्श पी 16 है, दिनांक 01.02.2025 को चिकित्साधिकारी सलूंबर को मृतक की मृत्यु के कारण पर राय चाहने हेतु तहरीर प्रदर्श पी 17 दी गई जिस पर ए से बी चिकित्साधिकारी द्वारा दी गई राय है, सी से डी चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर, इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त खातुराम को जरिये प्रदर्श पी 19 फर्द गिरफ्तार किया गया था, जैर हिरासत अभियुक्त धारा 23 (2) भा.सा.अ. के तहत सूचना दी गई जो प्रदर्श पी 26, 27 व 28 है जिन तीनों फर्दो पर ए से बी अभियुक्त के सी से डी उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल तस्दीक प्रदर्श पी 20 मुर्तिब किया गया जिस

पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। सूचना मुताबिक अभियुक्त द्वारा एक सागवान का लठ जब्त कराया गया, जिसे जरिये प्रदर्श पी 21 जब्त कर सीलचिट किया गया जिस पर इ से एफ उसके, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर ह। जब्तशुदा लठ का बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 22 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मजरूह पालूराम का चोट प्रतिवेदन बनाने हेतु चिकित्साधिकारी को तत्कालीन आईओ द्वारा तहरीर प्रदर्श पी 24 दी गई थी जिस पर ए से बी चिकित्साधिकारी के व सी से डी तत्कालीन आईओ के हस्ताक्षर है। प्राप्त चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 25 शामिल पत्रावली किया गया। गवाहान लोकेश कुमार, अशोक कुमार, डॉ नितिन शाह, धूला मीणा के बयान उनके कहेअनुसार लेखबद्ध किए गए। मृतक के शरीर पर आई चोटों बाबत ओपिनियन प्राप्त करने बाबत चिकित्साधिकारी पीएचसी बेडावल को एक तहरीर प्रदर्श पी 29 दी गई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी डॉक्टर द्वारा एमएलसी के आधार पर दी गई राय है, इ से एफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दी गई राय है, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी भंवरलाल व गवाह पूजकी की धारा 183 बीएनएसएस के कथन करवाने हेतु जे.एम. साहब सलूंबर को तहरीर दी थी। उक्त बयानों की सत्यापित प्रति लेने हेतु एक और तहरीर दी थी जो प्रदर्श पी 30 है जिस पर ए से बी तत्कालीन आईओ के हस्ताक्षर है। प्राप्त बयानों की सत्यापित प्रति शामिल पत्रावली है। प्रकरण में जब्त प्रदर्श व नमूने सेंपल की एफएसएल जांच कराने हेतु एसपी सलूंबर को भेजी तहरीर प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने से उसके द्वारा चार्जशीट किता कर माननीय न्यायालय में पेश की।

जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्र पी 1 में लठ से मारपीट करने का अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि उसके अनुसंधान में यह नहीं आया है कि मृतक के साथ चाकू से घटना कारित की गई हो, ना ही चाकु जब्त किया गया है।

इस प्रकार इस गवाह ने प्रकरण का अनुसंधान कर दौराने अनुसंधान अभियुक्त द्वारा जैर हिरासत दी गई ईत्तला प्र पी 26, 27, 28 की पुष्टि करते हुए

अन्य फर्दों की पुष्टि की है। हालांकि जिरह में इस गवाह ने अभियुक्त से चाकु बरामद नहीं होना तथा चाकु से मारपीट नहीं होना स्वीकार किया है। परंतु पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा प्र पी 28 के जरिए जो ईत्तला दी गई है, उसमें अभियुक्त ने अंकित करवाया है कि "मारपीट की थी, जिस समय मेरे हाथ में अंगुठी नंग वाली पहनी हुई थी जिससे उसके चोट लगी, वह अंगुठी बरामद करा सकता हूं" इससे यह प्रकट होता है कि मृतक के धारदार हथियार से आई चोट संख्या 01 चाकु से ना आकर अभियुक्त द्वारा हाथ में पहनी हुई अंगुठी से कारित हुई है। हालांकि पत्रावली पर उक्त अंगुठी अथवा इसकी जब्ती पेश नहीं की गई है। परंतु अभियुक्त द्वारा दी गई ईत्तला प्र पी 26, 27, 28 के संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई जिरह नहीं की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियुक्त का पूछताछ नोट, जिसको हालांकि प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, ना ही साक्ष्य में पढे जाने योग्य है परन्तु उसमें अभियुक्त ने हाथ में पहनी लोहे जैसी अंगुठी खो जाना बताया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 01 में धारदार हथियार चाकु से मारपीट करने का तथ्य अंकित होने तथा लठ से मारपीट का कोई तथ्य अंकित नहीं होने व द्वितीय रिपोर्ट प्र पी 03 में चाकु के साथ–साथ लठ से मारपीट करने का तथ्य भी अंकित होने के इस हल्के से विरोधाभाष के आधार पर संपूर्ण अभियोजन कहानी को नहीं ठुकराया जा सकता। इस प्रकार इस गवाह ने अभियुक्त के विरूद्ध बाद अनुसंधान आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोपपत्र पेश करना पुष्ट किया है।

25. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **कालीया बनाम राज. राज्य, 1976 आरएलडब्लू (राज) 154** में वर्णित मामले में पांच लोगों के विरूद्ध हत्या के अपराध का आरोपपत्र पेश हुआ था, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को अन्यत्र उपस्थिति के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया था। शेष दोषसिद्ध तीनों व्यक्तियों द्वारा दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत बालक सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिए गए इस सिद्धांत का सहारा लिया गया है कि "**न्यायालय को चाहिए कि वह भूसे से दाना अलग करे, झूंठ से सत्य को अलग**

करें, यह तभी संभव है जब सत्य को झूंठ से अलग किया जा सके, जहां दाने को भूसे से इसलिए अलग नहीं किया जा सकता कि वे इतने उलझे हुए है कि इनको अलग करने की प्रक्रिया के दौरान हर बार अभियोजन पक्ष का नया मामला खडा हो जाता है।" इस प्रकार माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में मत व्यक्त किया गया है कि सभी चक्षुसाक्षियों ने शत्रुतावश जान, बूझकर सभी व्यक्तियों को लिप्त करने का प्रयास किया गया है, जिनमें पांच में से दो को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया। गवाहों के द्वारा झूंठ को इस प्रकार मिश्रित कर दिया गया है कि न्यायालय के लिए मुश्किल हो गया है कि वह सत्य को झूंठ से अलग करें। इस प्रकार अभियुक्तगण की अपील मन्जूर करते हुए उन्हें दोषमुक्त किया गया है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत **भंवरसिंह बनाम राज. राज्य, 1998 कि.ला.रि. (राज.) 400** में वर्णित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में अस्पष्ट विलंब था। गवाहों की साक्ष्य विरोधाभाषी थी। कथित चक्षुसाक्षी मौके पर मौजूद नहीं थे। स्वतंत्र व्यक्ति जो मौके पर मौजूद थे, उनको साक्षी नहीं बनाया गया। चोटों की चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्टि नहीं थी। बरामशुदा आयुध अपराध कारित करने में प्रयोग किया जाना पुष्ट नहीं था। इस प्रकार अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत **जेटाराम बनाम राज. राज्य, 2016(11) कि.ला.रि. (राज.) 387** में वर्णित मामले में चिकित्सकीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य विरोधाभाषी थी। चश्मदीद गवाह रोपित किए गए थे। इस प्रकार अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत **बालाजी गुंठु दुल्हे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2013 कि.ला.रि. (एससी) 123** में वर्णित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पीएम रिपोर्ट की पुष्टि चिकित्सकीय साक्षी की साक्ष्य से होनी चाहिए तथा अकेली पीएम रिपोर्ट दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है।

जबकि हस्तगत प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियां उक्त न्यायिक दृष्टांतों में

वर्णित मामलों की तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्नता लिए हुए हैं। घटना के तीन चक्षुसाक्षियों ने एक मत से अभियोजन कहानी का समर्थन किया है। मृतक के आई चोटों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से हुई है। इस प्रकार अभियुक्त उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों से लाभान्वित होना प्रतीत नहीं होता है।

26. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उक्तानुसार विवेचन के पश्चात् यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.10.2024 को रात्रि 12.00–12.30 बजे परिवादी पक्ष की दुकान पर जाकर सामान लेने की मांग की, जिस पर परिवादी भंवरलाल द्वारा रात्रि को सामान नहीं देने की कहने पर अभियुक्त ने परिवादी से बीडी पीने के नाम पर परिवादी के घर में प्रवेश कर बीडी मांगी, जिस पर परिवादी भंवरलाल द्वारा अभियुक्त को बीडी दे दी गई, बीडी पीते–पीते अभियुक्त ने परिवादी भंवरलाल पर यह आक्षेप लगाते हुए कि उसने अभियुक्त के पिता और बाबा को मार डाला परिवादी के साथ थाप, मुक्कों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की, हल्ला सुनकर परिवादी का पिता मृतक पालुराम बीच, बचाव करने आया तो अभियुक्त ने पालुराम के साथ लोहे की अंगुठी से मारपीट कर साधारण उपहति तथा मृतक पालुराम के छाती व पंसलियों पर कुन्द आलाय लठ से मारपीट कर उसकी पसली संख्या 05 लगायत 10 में अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की। उक्त अस्थिभंग के दुरगामी परिणाम से मृतक के फेफडों में जकडन होकर उसकी मृत्यु कारित हो गई। इस प्रकार अभियुक्त ने मानव निवास के रूप में उपयोग में आने वाले निर्माण में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। अभियुक्त ने गृह अतिचार करते समय गृह अतिचार को छिपाने के लिए कोई पूर्वावधानी नहीं बरती, ना ही गृह अतिचार करते समय या गृह अतिचार करने के पश्चात् धारा 330(2) BNS में वर्णित 6 तरीकों में से किसी भी तरीके से प्रवेश किया या बाहर निकला, ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त का कृत्य प्रच्छन्न गृह अतिचार अथवा गृह भेदन में नहीं आता है अपितु अभियुक्त का कृत्य धारा 329(2) BNS में परिभाषित तथा 329(4) BNS में दण्डनीय गृह अतिचार की श्रेणी में आता है साथ ही अभियुक्त ने परिवादी पक्ष के घर में घुस कर गृह अतिचार कर मृतक पालुराम की मृत्यु कारित करने के आशय से उसके

प्राणघातक चोटें कारित की जिससे उसकी बाद में मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभियुक्त ने मृत्यु से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार कारित कर धारा 332(क) BNS के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है। मृतक पालुराम के शरीर पर आई चोट संख्या 01 चिकित्सकीय साक्ष्य से साधारण प्रकृति की कारित होना प्रकट हुई है। परंतु चिकित्सकीय साक्षी ने उक्त चोट धारदार हथियार से कारित होना बताया है जबकि पत्रावली पर कोई धारदार हथियार ना तो बरामद होना प्रमाणित है, ना अनुसंधान अधिकारी ने चाकू से चोट आना माना है। बल्कि पत्रावली पर आई साक्ष्य से चोट संख्या 01 अभियुक्त द्वारा हाथ में पहनी हुई लोहे की अंगुठी से कारित होने की साक्ष्य है। उक्त अंगुठी असन्न भेदन या काटने जैसा उपकरण नहीं है, ना ही आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाकर मृत्यु कारित किए जाने जैसा उपकरण है। ऐसी परिस्थिति में मृतक की चोट संख्या 01 धारदार हथियार से कारित ना होकर कुन्द आलाय से कारित होना प्रमाणित होती है। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 118(2) BNS की बजाय धारा 115(2) BNS के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है। अभियुक्त ने कुन्द आलाय लठ से मृतक पालुराम की छाती पर चोटें कारित कर उसकी 5वीं लगायत 10वीं पसलियों में अस्थिभंग कारित कर धारा 117(2) BNS के तहत दण्डनीय अपराध अपराध कारित किया है। अभियुक्त द्वारा मृतक पालुराम के पसलियों में कारित किए गए फ्रेक्चर के कारण उसके दूरगामी प्रभाव के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई है, इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 103 (1) BNS के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है। चूंकि अभियुक्त का कृत्य प्रछन्न गृह अतिचार या गृह भेदन में नहीं आता है, ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 331(6), 331(8) BNS के तहत दण्डनीय अपराध प्रमाणित नहीं होता है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 331(6), 331(8), 118(2) BNS के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है तथा अभियुक्त को धारा 329(4), 332(क) 115(2), 117(2), 103(1) BNS के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित है।

—::<u>आदेश</u>::—

27. अतः अभियुक्त खातुराम पिता कानाजी, जाति मीणा, निवासी–सडामानपुर, थाना सलूम्बर, जिला–सलूम्बर (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 331(6), 331(8), 118(2) BNS के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

उक्त अभियुक्त को धारा 329(4), 332(क) 115(2), 117(2), 103(1) BNS के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
सेशन न्यायाधीश,
सलुम्बर(राज.)

28. **दण्डादेश के बिन्दु पर सुनवाईः—**

(1) दण्डादेश के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। दौराने बहस अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है और वह गरीब अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अभियुक्त ने 2024 से लगातार अन्वीक्षा का सामना किया है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे।

(2) दौराने बहस लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने पालुराम के साथ लठ एवं अंगुठी से इस कदर मारपीट की है कि पालुराम की 5वीं पसली से लकर 10वीं पंसली में अस्थिभंग कारित हुआ है और इन चोटों के परिणामस्वरूप उपरांत में पालुराम की मृत्यु हो गई, इस तरह से अभियुक्त ने हत्या जैसा गंभीर किस्म का अपराध कारित किया है, इसलिए अभियुक्त नरमी बरते जाने की पात्र नहीं है। उसे उचित दण्ड से दंडित किया जावे।

(3) दण्ड के बिन्दु पर दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(4) इस मामले में की पत्रावली पर यह तथ्य आया है कि अभियुक्त परिवादी पक्ष की दुकान पर मध्य रात्रि सामान लेने गया तथा पालुराम द्वारा उसे सामान नहीं

देने पर बीडी पिलाने को कहा गया जब पालुराम द्वारा उसे बीडी तो बीडी पीते हुए अभियुक्त ने स्वयं बाबा पर पालुराम द्वारा जादु टोना करके मार डालने का आरोप लगाकर लठ, लोहे की अंगुठी एवं लात, मुक्कों से इस कदर मारपीट की है कि पालुराम की 5वीं पसली लगायत 10वीं पसली तक फ्रेक्चर हो गई, जिससे आहत पालुराम को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पडा और अन्ततः अभियुक्त द्वारा कारित चोटों के दुरगामी परिणाम से उसकी मृत्यु कारित हुई है। ऐसी स्थिति में इस मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को उक्त दोषसिद्ध अपराधों के लिए निम्नानुसार समुचित दण्ड से दंडित किया जाना न्यायोचित हैः—

अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध धारा 329(4) BNS के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में 01 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/—रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्ता को 01 का माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध धारा 332(क) BNS के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/—रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्ता को 01 का माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध धारा 115(2) BNS के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में 01 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/—रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्ता को 01 का माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध धारा 117(2) BNS के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में 05 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/—रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्ता को 01 का माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध धारा 103(1) BNS के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में आजीवन कारावास तथा 10,000/—रूपये अर्थदण्ड से दंडित

किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्ता को 01 का माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

(5) अभियुक्त की उक्त सजाएं साथ–साथ चलेगी

(6) उक्तानुसार ही अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जावे।

(7) यदि अभियुक्त के द्वारा पूर्व में कोई पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि व्यतीत की गई है तो उसे धारा 428 जा.फौ. के तहत उसकी मूल सजा में से मूजरा किया जावे।

(8) अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि जमा कराने पर बतौर प्रतिकर पीडिता परिवादी भंवरलाल एवं उसकी माता को आधी–आधी को अदा की जावे।

(09) अभियुक्त ओर से धारा 437(ए) Cr.P.C. की पालना नहीं की गई है। अन्तर्गत जमानत, मुचलके विगत पेशी पर प्रस्तुत कर तस्दीक कराये जा चुके हैं।

(10) प्रकरण में जब्तशुदा लठ व अन्य कोई वजह सबूत हो तो वह बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किए जावे।

निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
सेशन न्यायाधीश,
सलुम्बर(राज.)

29. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 30.05.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
सेशन न्यायाधीश,
सलुम्बर(राज.)